कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001

फोन : 07752–227624, फैक्स : 07752–221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

एफ./बी.1/2018/स्था./01 **बिलासपुर दिनांक – 06.08.2018**

//वनरक्षक/गेमगार्ड की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन//

छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग के बिलासपुर अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों/वनमंडलों में वनरक्षक/गेमगार्ड के रिक्त पदों की सीधी भर्ती के लिए योग्य उम्मीद्वारों से ऑन लाइन आवेदन पत्र वन विभाग की वेबसाइट www.cgforest.com में दिनांक 09.08.2018 से दिनांक 19.08.2018 शाम 5:00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यह पद जिला स्तर के है तथा इन पदों पर चयन/नियुक्ति की कार्यवाही कॉलम 18 में दर्शित प्राधिकारी द्वारा ही की जायेगी। वनरक्षक एवं गेमगार्ड के पद हेतु पृथक–पृथक ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

वनरक्षक/गेमगार्ड की सीधी भर्ती हेतु वनमंडलवार रिक्त पदों की सूची

क्रं.	जिले का नाम	कार्यालय/ वनमण्डल का नाम	पद नाम	अनारक्षित			अ.पि.वर्ग			अ.जा.			अ.ज.जा.			कुल पद	चयन/ नियुक्ति की कार्यवाही हेतु प्राधिकारी
				मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	रायगढ़	धरमजयगढ़	वनरक्षक	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	**5**	वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल, दूरभाष नं. 07766–266599
			गेमगार्ड	2	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	**6**	
2	रायगढ़	रायगढ़	गेमगार्ड	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	**6**	वनमंडलाधिकारी रायगढ़ वनमंडल, दूरभाष नं. 07762–224426
3	कोरबा	कोरबा	वनरक्षक	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	**6**	वनमंडलाधिकारी कोरबा वनमंडल दूरभाष नं. 07759–221273
			गेमगार्ड	3	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	**6**	
4	कोरबा	कटघोरा	वनरक्षक	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	**5**	वनमंडलाधिकारी कटघोरा वनमंडल कटघोरा दूरभाष नं. 07815–250157
			गेमगार्ड	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	**6**	
योग :–				**12**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**19**	**0**	**0**	**40**	

टीप–1) पदों की संख्या में वर्गवार कमी या वृद्धि हो सकती है। चयन/नियुक्ति के समय वास्तविक रिक्तियों के विरूद्ध चयन/नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी तथा भर्ती प्रक्रिया अनुसार 25 प्रतिशत पदों की प्रतीक्षा सूची में से प्रथम जारी नियुक्ति आदेश के आवेदकों के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उक्त पद के विरूद्ध रिक्त होने वाले पदों पर प्रतीक्षा सूची में चयनित उम्मीद्वारों की नियुक्ति की जावेगी।

2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु पदों का निर्धारण शासन द्वारा निर्धारित जिला स्तरीय सीधी भर्ती के आरक्षण रोस्टर के अनुसार है।

3) छ.ग. शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 03—18/2013/10—1/वन दिनांक 26.4.2017 द्वारा भर्ती वर्ष 2017 एवं 2018 के लिए वनरक्षक/गेमगार्ड भर्ती में महिला आरक्षण 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के पत्र क्रमांक—एफ 13—2/2012/आ.प्र./1—3 रायपुर दिनांक 25.02.2015 अनुसार वनरक्षक/गेमगार्ड भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है एवं छ.ग. तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2012 एवं संशोधन दिनांक 04.08.2014 द्वारा वनरक्षक/गेमगार्ड भर्ती में खिलाड़ियों के लिये आरक्षण 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

4) वनरक्षक/गेमगार्ड के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु की जाने वाली नियुक्तियां माननीय न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/ निर्णय के अध्ययीन रहेगी।

5) रिक्त पद निर्धारित अर्हता आवेदन का प्रारूप तथा अन्य संबंधित जानकारी वन विभाग की वेबसाईड www.cgforest.com पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इसका भलीभांति अध्ययन कर ही आवेदन पत्र भरे। एक बार आवेदन पत्र भरने के उपरांत उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार का अवसर आवेदक को प्रदाय नहीं किया जायेगा।

6) वनरक्षक/गेमगार्ड भर्ती में समय—समय पर की गई कार्यवाही उक्त वेबसाईड पर ही समय—समय पर अपलोड किया जायेगा। अतः अभ्यार्थियों द्वारा समय—समय पर अद्यतन जानकारी के लिए देखते रहे।

वनरक्षक/गेमगार्ड भर्ती हेतु अर्हता, चयन प्रकिया तथा अन्य विवरण

(1) वनरक्षक/गेमगार्ड

वेतनबैंड — लेबल 4 —19500—62000/— एवं अन्य देय भत्ता

(2) शैक्षणिक अर्हताएं :—

मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकण्डरी परीक्षा (10+ 2) उत्तीर्ण।

(3) शारीरिक अर्हताएं :—

(3.1) वनरक्षक/गेमगार्ड पद के लिये न्यूनतम शारीरिक प्रमाप (स्टेण्डर्ड) निम्नानुसार होगा :—

शारीरिक माप	पुरूष अभ्यार्थी	महिला अभ्यार्थी
ऊंचाई अनुसुचित जाति/जनजाति हेतु	152 से.मी.	145 से.मी.
अन्य	163 से.मी.	150 से.मी.
सीना सामान्य (समस्त वर्ग)	79 से.मी. (न्यूनतम)	—
सीने का फुलाव (समस्त वर्ग)	05 से.मी. (न्यूनतम)	—

(3.2) **अन्य अर्हता – पैदल चाल :–**

पुरूष – 25 किलोमीटर 04 घण्टे में पूर्ण करना आवश्यक।

महिला – 14 किलोमीटर 04 घण्टे में पूर्ण करना आवश्यक ।

(4) आयु सीमा :–

दिनांक 01/01/2019 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट शासन के नियमों व शर्तों के अनुसार रहेगी।

छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर के क्रमांक/एफ 3–2/2015/1–3 रायपुर दिनांक 23.01.2017 द्वारा छ.ग.स्थानीय निवासियों के लिये अधिकतम् आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट दी जाकर अधिकतम् आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। विशेष वर्गो के लिये अधिकतम् आयु सीमा में देय अन्य छूट यथावत लागू रहेगी, किन्तु ऐसी छूट को मिलाकर अधिकतम् आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(5) चयन परीक्षा :–

आवेदन पत्रों की जांच पश्चात् शासन द्वारा निर्धारित संलग्न अनुसार चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। अर्ह अभ्यार्थियों को आवश्यकतानुसार प्रतियोगी परीक्षा/साक्षात्कार के लिये बुलाया जावेगा,जिसके लिए तिथि निर्धारित होने की सूचना पृथक से उपरोक्त www.cgforest.com में भेजी जावेगी। यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

(6) परीक्षा केन्द्र :–

परीक्षा केन्द्र की सूचना पृथक से उपरोक्त www.cgforest.com दी जायेगी।

(7) निवासी :–

उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

(8) जाति प्रमाण :–

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार का जाति संबंध प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये हों।

(9) भर्ती प्रकियाः –

(9.1) आवेदन पत्रों की जांच–

आवेदकों से निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं छानबीन करने उपरांत समस्त निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आवेदकों की वर्गवार सूचियां न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा में प्राप्तांकों के गुणानुक्रम में तैयार की जायेगी। भर्ती हेतु उपलब्ध वर्गवार कुल रिक्त पदों की संख्या के 15 गुना आवेदकों को प्राविणता के आधार पर शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा की आगामी चयन प्रकिया में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा।

(9.2) <u>मूल प्रमाण–पत्र सत्यापन</u> :–

(9.2.1) शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों को आयु एवं शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु मूलप्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं स्थान में उपस्थित होना आवश्यक है। अभिलेख परीक्षण उपरांत पात्र उम्मीदवारों को ही शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा। सत्यापन हेतु तिथि एवं स्थान की सूचना वन विभाग की वेब साईट www.cgforest.com में अपलोड की जावेगी।

(9.2.2) शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व पात्र अभ्यार्थी दस्तावेज सत्यापन के लिये मूल प्रमाण पत्र साथ में लेकर आवें। अभिलेख परीक्षण उपरांत पात्र उम्मीदवारों को ही शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यार्थियो का जो मूल प्रमाण पत्र साथ मे लाना है, उसकी सूची **परिशिष्ट 1** मे दी गई है।

(9.2.3) पात्र अभ्यार्थी अपने समस्त प्रमाण पत्रों 01 सेट छायाप्रति (राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित) एवं स्वयं का दो पासपोर्ट साईज फोटो एवं आधार कार्ड अपने साथ लेकर आवें।

(9.3) <u>शारीरिक नापजोख</u> – उपरोक्तानुसार चयनित उम्मीदवारों का शारीरिक नापजोख (ऑखों की दृष्टि एवं ऑखों से संबंधित अन्य जांच को छोड़कर किया जायेगा। शारीरिक नापजोख में विवाद की दशा में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

शारीरिक नापजोख में न्यूनतम अर्हता प्रमाणित होने के बाद ही योग्य उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता की आगामी परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा। शारीरिक नापजोख के पूर्व उम्मीदवार के फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान लिया जायेगा।

(9.4) <u>शारीरिक दक्षता परीक्षा</u>– उपरोक्तानुसार योग्य सभी उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 60 अंकों की होगी और इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएं सम्मिलित होंगी।

क) 200 मीटर दौड़ – 15 अंक
ख) 800 मीटर दौड़ – 15 अंक
ग) लम्बी कूद – 15 अंक
घ) गोला फेंक – 15 अंक
ड) आइटम 'क' से 'घ' तक की स्पर्धा के लिए दिये जाने वाले अंकों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: –

प्रतिस्पर्धा	पुरूषों के लिए		महिलाओं के लिए	
	समय/नाप	अंक	समय/नाप	अंक
200 मीटर दौड़ (1 प्रयास)	24.50 सेकण्ड से कम	15	28.50 सेकण्ड से कम	15
	25.50 सेकण्ड से कम	12	30.50 सेकण्ड से कम	12
	27.00 सेकण्ड से कम	9	31.50 सेकण्ड से कम	9
	28.50 सेकण्ड से कम	6	33.00 सेकण्ड से कम	6
	30.00 सेकण्ड से कम	3	34.50 सेकण्ड से कम	3
	30.00 सेकण्ड से अधिक	0	34.50 सेकण्ड से अधिक	0

800 मीटर दौड़ (1 प्रयास)	2 मिनट 10 सेकण्ड से कम	15	3 मिनट से कम	15
	2 मिनट 20 सेकण्ड से कम	12	3 मिनट 10 सेकण्ड से कम	12
	2 मिनट 30 सेकण्ड से कम	9	3 मिनट 25 सेकण्ड से कम	9
	2 मिनट 45 सेकण्ड से कम	6	3 मिनट 40 सेकण्ड से कम	6
	3 मिनट तक	3	4 मिनट तक	3
	3 मिनट से अधिक	0	4 मिनट से अधिक	0
लंबी कूद (3 प्रयास)	5.50 मीटर या अधिक	15	4.25 मीटर या अधिक	15
	5.25 मीटर तक	12	4 मीटर तक	12
	4.75 मीटर तक	9	3.50 मीटर तक	9
	4.25 मीटर तक	6	3 मीटर तक	6
	3.75 मीटर तक	3	2.50 मीटर तक	3
	3.75 मीटर से कम	0	2.50 मीटर से कम	0
गोला फेक (3 प्रयास) गोले का वजन– पुरूष – 7.62 किलो महिला– 4 किलो	9 मीटर या अधिक	15	8 मीटर या अधिक	15
	8 मीटर तक	12	7 मीटर तक	12
	7 मीटर तक	9	6 मीटर तक	9
	6 मीटर तक	6	5 मीटर तक	6
	5 मीटर तक	3	4 मीटर तक	3
	5 मीटर से कम	0	4 मीटर से कम	0

अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सभी प्रतिस्पर्धाओं हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(9.5) **बोनस अंक**– उम्मीदवार को नीचे उल्लेखित शीर्ष की विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में 5 बोनस अंक दिये जायेंगे। विशेष योग्यता के बोनस अंक कुल मिलाकर 10 से अधिक नहीं होंगे।

(9.5.1) एन.सी.सी. के ''सी'' सर्टिफिकेट का न्यूनतम ''बी'' ग्रेड का प्रमाणपत्रधारी।

(9.5.2) राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता – केवल उन अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताएं जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है, कि :–

i) टीम स्पर्धा में केवल विजेता एवं उप विजेता एवं

ii) व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को ही बोनस अंक की पात्रता होगी।

(10) **चयन सूची**– हायर सेकेण्डरी (निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा) में प्राप्तांकों, शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं बोनस अंकों के आधार पर प्रावीण्यता सूची तैयार की जायेगी। प्रावीण्यता सूची निम्नानुसार अंकों के आधार पर तैयार की जायेगीः –

i) हायर सेकेण्डरी परीक्षा (निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा) में प्राप्तांकों के आधार पर अधिकतम – 40 अंक

अभ्यर्थी को हायर सेकेण्डरी परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों को 40 अंक के प्रतिशत अनुपात में अंक प्रदाय किये जायेंगे।

उदाहरणतः– 100 प्रतिशत अंक के लिए – 40 अंक

80 प्रतिशत अंक के लिए – 32 अंक

50 प्रतिशत अंक के लिए – 20 अंक

ii) शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कुल 60 अंक में से प्राप्त अंक

iii) बोनस अंक

(11) **<u>पैदल चालन परीक्षा</u>**— प्रावीणता सूची के उम्मीदवारों को पैदल चालन परीक्षा देनी होगी। पुरूष उम्मीदवार को 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी करनी होगी। इस परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं होंगे। समस्त उम्मीदवारों को पैदल चालन निर्धारित समय पूरा करना अनिवार्य होगा। पैदल चालन परीक्षा हेतु केवल एक अवसर दिया जायेगा।

(12) पैदल चालन परीक्षा में सफल उम्मीद्वारों को सीधी भर्ती के लिए अंतिम प्राविण्यता (गुणा गुण) सूचीः —

i) हायर सेकण्डरी (निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा) में प्राप्तांकों का वेटेज— 40 अंक

ii) शारीरिक दक्षता परीक्षा — 60 अंक

iii) बोनस अंक के आधार पर तैयार की जायेगी।

(13) **परीक्षा स्थल**

विज्ञापन में दर्शित वनमंडल कोरबा/कटघोरा/रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ वनमंडलों हेतु वनरक्षक/गेमगार्ड सीधी भर्ती की प्रकिया के अंतर्गत शारीरिक माप व दक्षता परीक्षा हेतु स्थल चयन कोरबा वनमंडल है। शारीरिक माप व दक्षता परीक्षा एक ही समय व तिथि को आयोजित किया जायेगा। जिसकी सूचना पृथक से वन विभाग की वेब साईट www.cgforest.com में अपलोड की जावेगी।

(14) **गेमगार्ड पद के लिये आवश्यक दिशा निर्देश :—**

(14.1) गेमगार्ड एवं वनरक्षक एक ही पद के नाम है। इनके रोस्टर जिले के अनुसार ही तैयार किये जायेंगे तथा एक ही वरियता सूची में इन्हें यथा पद नाम वनरक्षक अथवा गेमगार्ड के रूप में दर्शाया जायेगा।

(14.2) गेमगार्ड का पद चलित हाथी सुरक्षा दल हेतु गेमगार्ड की नियुक्ति के लिये है। चयनित गेमगार्ड की आगामी पदोन्नति तक उन्हें अनिवार्य रूप से चलित हाथी सुरक्षा दस्तों के कार्य क्षेत्रों में ही कार्य करना होगा। नियुक्त गेमगार्ड चलित हाथी दस्ता में ही पदस्थ रहेगें एवं सत्त रूप से हाथी दल की निगरानी करेगें।

(14.3) वनरक्षक के रोस्टर में ही गेमगार्ड की प्रविष्टि की जायेगी तथा वनरक्षक की वरियता सूची में इन्हें गेमगार्ड के पद नाम से दर्शाया जायेगा।

(14.4) गेमगार्ड में नियुक्ति के पश्चात आगामी पदोन्नति तक उक्त गेमगार्ड को अनिवार्य रूप से वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों में ही कार्य करना होगा। पदोन्नति के पूर्व उनकी परिस्थिति अन्य सामान्य क्षेत्रों में नहीं की जा सकेगी।

(14.5) गेमगार्ड की पदस्थिति निम्नानुसार होगी :—

क्रमांक	वनमंडल/कार्यालय का नाम
1	रायगढ़ वनमंडल
2	धरमजयगढ़ वनमंडल
3	कोरबा वनमंडल
4	कटघोरा वनमंडल

(15) भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। इस हेतु आवश्यक मूल अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(16.) नियम एवं शर्ते :–

(16.1) पदों की संभावित रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है ।

(16.2) छ.ग. के किसी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करना आवश्यक है ।

(16.3) अपूर्ण , अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण आनलाइन आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं इस संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

(16.4) ऑन लाईन आवेदन करने के अंतिम तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है। आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतें, बाद में अभ्यर्थी के द्वारा जन्म तिथि, वर्ग, विषय आदि में परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

(16.5) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(16.6) कोई भी पुरूष उम्मीद्वार जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों, और कोई भी महिला उम्मीद्वार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(16.7) अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(16.8) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, इनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा ।

(16.9) पात्रता के लिये अन्य नियम एवं शर्तें छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय – समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।

(16.10) रिक्त पद, निर्धारित अर्हता, चयन प्रक्रिया तथा अन्य संबंधित जानकारी वन विभाग की वेबसाइड www.cgforest.com पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से

सूचना पत्र प्रेषित नहीं किया जावेगा। अतः अभ्यर्थी www.cgforest.com का निरंतर अवलोकन करते रहें।

(16.11) आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर आवेदन पत्र भरे। चयन की किसी भी स्तर पर आवेदक को अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी, इसके लिए किसी भी प्रकार की पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी ।

(16.12) विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत सूचना प्रकाशित होगी। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नही होगा ।

(16.13) आनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं करना है ।

(16.14) चयन के संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

(16.15) यदि किसी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से पद रिक्त रह जाते है, तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित नहीं किये जायेंगे। अपितु उसी वर्ग के पुरूष उम्मीद्वार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस वर्ग के लिए वह आरक्षित है।

(16.16) शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण – पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(16.17) कोई भी उम्मीदवार जिसके पास एन.सी.सी.''सी'' सर्टिफिकेट (न्यूनतम बी ग्रेड का प्रमाण पत्र धारी) एवं खेल कूद में प्रवीणता प्रमाण –पत्र हो तो उसका उल्लेख आवेदन पत्र पर अवश्य करें।

सही/–

मुख्य वन संक्षक

बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट –01

17. दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करने वाले अभिलेख

(17.1) हाईस्कुल प्रमाण पत्र की मूलप्रति एवं छायाप्रति।

(17.2) वनरक्षक के लिये शैक्षाणिक योग्यता के प्रमाण पत्र एवं हायर सेकण्डी (10 + 2) की अंकसूची की मूल प्रति एवं छायाप्रति।

(17.3) खेलकूद प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति।

(17.4) एन.सी.सी.सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति।

(17.5) जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति।

(17.6) मूल निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति।

(17.7) रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति।

(17.8) जन्मतिथि प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति।

(17.9) क्रिमीलेयर न होने संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति।

(17.10) भूतपूर्व सैनिक (यदि हो तो) सेवा अवधि, सेवानिवृत्ति तथा अन्य मूल अभिलेख एवं छायाप्रति।

(17.11) अन्य आवश्यक अभिलेख एवं छायाप्रति।

सही/–
मुख्य वन संक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट –02

वनरक्षक/गेमगार्ड सीधी भर्ती हेतु भर्ती प्रक्रिया का अनुमानित समय सारणी

क्र.	विवरण	समय–सीमा
1	2	3
01	विज्ञापन जारी करने का दिनांक	06.08.2018
02	ऑनलाईन आवेदन मंगाने की तिथि	09.08.2018 से 19.08.2018
03	प्राप्त आवेदन पत्र जांच उपरांत पात्र/अपात्र की सूची तैयार करने की तिथि	20.08.2017 से 27.08.2018
04	प्राप्त आवेदन पत्र जांच उपरांत पात्र/अपात्र की सूची अपलोड करने की तिथि।	28.08.2018 से 01.09.2018
05	प्राप्त आवेदन पत्र जांच उपरांत पात्र/अपात्र सूची जारी करने उपरांत दावा आपत्ति मंगाने की तिथि	02.09.2018 से 06.09.2018
06	दावा आपत्ति का निराकरण कर वनमंडलों द्वारा पात्र उम्मीद्वारों की सूची वरिष्ट कार्यालय को प्रेषित करने की तिथि	07.08.2018 से 11.09.2018
07	दावा आपत्ति निराकारण उपरान्त पात्र उम्मीद्वारों की अंतिम वरियता सूची अपलोड करने की तिथि	12.09.2018 से 16.09.2018
08	मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता एवं खेलकूद की तिथि	17.09.2018 से 18.09.2018
09	पैदल चाल टेस्ट	19.09.2018
10	परीक्षा परिणाम + वर्गवार चयन सूची जारी करने की तिथि	20.09.2018 से 25.09.2018
11	नियुक्ति आदेश जारी	30.09.2018

अभ्यर्थियों का सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त समय–सीमा अनुमानित है। प्रत्येक कार्य हेतु वास्तविक समय–सीमा निर्धारण, समय–समय पर www.cgforest.com वेब साईट पर दर्शाया जायेगा। अभ्यार्थियों को पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।

सही/–
मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर